सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 एवं अन्य धाराओं के अन्तर्गत कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर से संबंधित सूचना

1. उच्च शिक्षा संस्थान के उद्देश्य

1. उच्च शिक्षा नीति एवं कार्यक्रमों को जन साधारण को सूचित करना, एवं उनके द्वारा चाही गई गतिविधियों की जानकारी प्रदान करना ।
2. उच्च शिक्षा के संस्थानों द्वारा जन हित में प्रशिक्षित करना ।
3. विचाराधीन प्रकरणों को समयबद्व निर्धारित समय सीमा में निष्पादित करना ।
4. नीति एवं कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त सुझावों एवं विचारों का विश्लेषण कर कार्यप्रणाली में सुधार के प्रयास करना।
5. कार्यकलापों में पूर्ण पारदर्शिता बनाये रखना।
6. प्रचलित नियमों, उप नियमों, प्रक्रियात्मक कार्यकलापों का विश्लेषण कर उसमें उच्च कोटि का बनाने में सहायक बनना । जिससे अधिक से अधिक वर्ग लाभान्वित हो सके ।
7. युवाओं के सर्वागींण विकास में वातावरण निर्मित करना ।

2. शिक्षा निदेशालय का कार्य क्षेत्र

1. **(संयुक्त निदेशक) निर्देशन एवं प्रशासनिक अनुभाग**
   अ. संस्थापना
   ब. सामान्य प्रशासन
2. **(मुख्य लेखाधिकारी) लेखा एवं वित्त प्रशासन, अनुभाग**
   अ. गैर योजना मद
3. **संयुक्त निदेशक (योजना एवं समन्वय) योजना एवं समन्वय अनुभाग**
   अ. नवीन योजनाओं का निर्माण, क्रियान्वयन, एवं मूल्याकंन
   ब. राज्य योजना, मद, बजट
4. **संयुक्त निदेशक, (अकादमिक) अकादमिक प्रशासन अनुभाग**
   अ. शैक्षणिक गतिविधियां
   ब. शिक्षणेतर गतिविधियां
5. **संयुक्त निदेशक (अनुदान)अनुदानित एवं मान्यता के कम में प्रशासन अनुभाग**
   अ. अनुदानित शिक्षण संस्थायें
   ब. गैर अनुदानित संस्थायें
6. **संयुक्त निदेशक (कार्मिक) कार्मिक अनुभाग**
   अ. वरिष्ठता एवं विभागीय पदोन्नतियां
   ब. वरिष्ठ / चयनित वेतनमान
   स. गोपनीय प्रतिवेदनों का संधारण
7. **उप विधि परामर्शी विधिक प्रकरणों से संबंधित कार्य**
8. **संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)** – विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां प्रदान करना ।
9. सूचना का अधिकार से संबंधित सूचना
10. महाविद्यालय स्तर पर नागरिकों को दिये जाने वाले अधिकार

शिक्षा निदेशालय के विभिन्न अनुभाग

1 –निर्देशन एवं प्रशासनिक अनुभाग

अ संस्थापन

संस्थापन में निम्न गतिविधियों की सूचनाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं :–

1. दोहरा भत्ता संबंधी प्रावधान– देखें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 व 50 के तहत देय भत्ते ।
2. त्याग पत्र देने एवं लेने संबंधी प्रावधान– देखें राजस्थान सेवा नियम के खण्ड प्रथम के नियम 22 के तहत (राज्य सरकार के निर्णयानुसार) ।
3. स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति लेने संबंधी प्रावधान– देखें राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन नियम 1996 के नियम 50 के तहत ।
4. 120 दिवस से अधिक का अवकाश लेने संबंधी प्रावधान– देखें राजस्थान सेवा नियम के द्वितीय खण्ड के आईटम 22 के अन्तर्गत 120 दिवस से ज्यादा दिन का उपार्जित/ अर्द्धवेतन अवकाश राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
5. सेवा व्यवधान को काफ करना– देखें राजस्थान सिविल सर्विस नियम 1996 (पेंशन के नियम 27 के तहत एवं वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26.10.02 के अनुसार)
6. **अवकाश संबंधी प्रावधान**–
   1.–उपार्जित अवकाश– देखें राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम के नियम 91 के तहत
   2.– असाधारण अवकाश– देखें राजस्थान सेवा नियम खण्ड प्रथम नियम 96 के तहत
   3.– अध्ययन अवकाश– देखें राजस्थान सेवा नियम के खण्ड प्रथम के नियम 110 के तहत
   4.– लीव नॉट डयू – देखें राजस्थान सेवा नियम के खण्ड प्रथम के नियम 93 के (3) के तहत
   5.– प्रसूति अवकाश– देखें राजस्थान सेवा नियम के खण्ड प्रथम के नियम 103 के तहत
7. निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाये जाने वाले कर्मचारी/अधिकारी पर कार्यवाही संबंधी प्रावधान – देखें सीसीए रूल्स नियम 16, 17 एवं 18
8. नियुक्ति / पदस्थापन / स्थानान्तरण / प्रतिनियुक्ति संबंधी राजपत्रित/ गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए प्रावधान– विभिन्न विषयों के व्याख्याताओं की रिक्तियों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग को भिजवाई जाती हैं, आयोग द्वारा चयनित अधिकारियों / कर्मचारियों के स्थानान्तरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी कार्य राज्य सरकार द्वारा सम्पादित किया जाता है और अभ्यर्थियों को इस कार्यालय द्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है ।
9. पी.एच.डी. एवं एम.फिल. योग्यता धारण करने पर कालेज व्याख्याताओं को सेवा प्रवेश पर/ सेवारत योग्यता प्राप्त करने पर/ चयनित वेतनमान के समय अतिाक्ति वेतनवृद्धियों का लाभ दिये जाने के संबंध में वित्त (नियम) विभाग के आई.डी. संख्या 221000143 दिनांक 10.2.2010 एवं आई.डी. संख्या 221001241 दिनांक 23.8.2010 के अनुसार यदि किसी व्याख्याता को उपरोक्त लाभ दो बार दिया गया है तो उसका वेतन संशोधित किया जाकर यू.जी.सी. वेतनमान 2009 के अन्तर्गत वेतन निर्धारण/संशोधित वेतन निर्धारण किया जाकर संशोधित वेतन का भुगतान किया जावेगा ।
10. परिवीक्षाकाल में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ14(1) एफडी/रूल्स/2009 दिनांक 12.10. 2009 के शेडूल्य III के रूल्स के तहत नियत वेतन 18200/– देय होगा ।
11. परिवीक्षाकाल समाप्ति के पश्चात् राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ14(1) एफडी/रूल्स/2009 दिनांक 12.10.2009 की अनुसूची IV के नियम 17 के अनुसार वेतन नियतन महाविद्यालय स्तर पर किया जावेगा ।
12. वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ1 (2)एफडी (रूल्स)/ 106 पार्ट–I (आर.एस.आर.–13/09) दिनांक 22.5.2009 के अनुसार नियुक्ति अधिकारी द्वारा पूर्ण परिवीक्षाकाल में परिवीक्षाधीन

व्याख्याताओं को अधिकतम तीन माह तक असाधारण अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है । अपवाद जनक परिस्थितियों में वित्त विभाग की सहमति से ही तीन माह से अधिक अवधि का असाधारण अवकाश स्वीकृत होने की स्थिति में परिवीक्षाकाल को तीन माह से अधिक उपभोग किये गये असाधारण अवकाश के दिवसों की संख्या तक बढाया जायेगा । परिवीक्षाकाल अधिकतम एक वर्ष तक बढाया जा सकता है । परिवीक्षाकाल में वृद्धि की जाने की स्थिति में वृद्धि किये गये परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर ही नियमित वेतन श्रृंखला देय होगी ।

ब– प्रशासन के अन्तर्गत निम्न गतिविधियां एवं कार्यों की सूचना उपलब्ध करायी जा सकती हैं :–

1. राजस्थान के समस्त कर्मचारियों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान सेवा नियम बनाये, जिनकी पालना कराना । (भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अनुसार राज्यपाल द्वारा बनाये गये)
2. एक अस्थाई कर्मचारी को, जो अपने स्वयं के विवेक के आधार पर सेवा से त्यागपत्र दे सकता है ।
3. कोई भी कर्मचारी 15 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर 3 माह का नोटिस देकर स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति ले सकता है, यदि नियुक्ति अधिकारी द्वारा इसके लिये लिखित में मना नहीं कर दिया जाता है, ऐसा नोटिस, नोटिस की अवधि से पूर्व नियुक्ति अधिकारी की स्वीकृति से वापिस लिया जा सकता है । राजपत्रित के मामले में प्रशासनिक विभाग एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के मामले में विभागाध्यक्ष इस प्रकार की स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत सकते हैं और 3 माह के नोटिस अवधि में शिथिलता प्रदान कर सकते हैं । किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच/फौजदारी प्रकरण लम्बित होने पर स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति स्वीकृत नहीं किया जा सकता है ।
4. 120 दिन से अधिक अवकाश सेवा नियम 59 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है ।
5. किसी कर्मचारी के नियुक्ति आदेश के विलम्ब से पहुंचने पर पिछली सेवा को राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 27 एवं वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15(7) एफडी/रूल्स/97 दिनांक 28.10.02 के अन्तर्गत पेंशन परिलाभों की गणना के उद्देश्य से दो वर्ष तक की अवधि का कण्डोन आयुक्तालय स्तर /राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है ।
6. **पेंशन प्रकरण संबंधी निस्तारण संबंधी प्रावधान**
   1. प्रत्येक कर्मचारी को अपनी सेवा निवृत्ति से 3 माह पूर्व अपना पेंशन कुलक तीन प्रतियों में भरकर भेजा जाना है।
   2. प्रत्येक कर्मचारी को अपने सेवा काल में लिये गये लम्बी अवधि के ऋण समायोजन/ पी.डब्ल्यू.डी. भवन के अदेय प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है ।
   3. प्रत्येक कर्मचारी को पेंशन कुलक में किसी भी प्रकार की गलत सूचना नहीं भरनी चाहिए ।
   4. एफ.आई.आर./ विभागीय जॉच (गबन, चोरी) लम्बित नहीं होने का प्रमाण पत्र ।
7. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थी पर वित्त (नियम) विभाग के आदेश क्रमांक एफ13(1)एफ.डी./रूल्स/2003 दिनांक 29.01.2009 के अनुसार इनकी नियुक्ति पर पेंशन नियम के स्थान पर अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

स.–अनुकम्पात्मक नियुक्ति संबंधी

7. राज्य कर्मचारी का सेवा में रहते हुए निधन हो जाने पर राज्य सरकार के नियमानुसार उसके किसी एक वयस्क आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान है तदनुसार कर्मचारी की मृत्यु के 90 दिवस के भीतर आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन करने पर प्रकरण की जांच कर एवं आवेदक का चरित्र सत्यापन कराकर आवेदक को योग्यतानुसार कनिष्ठ लिपिक या प्रयोग शाला सहायक पद तक नियुक्तियां प्रदान की जाती हैं ।

8. समयअवधि (9, 18, 27 वर्ष पर देय) चयनित वेतनमान के संबंध में प्रावधान राज्य कर्मचारियों को राज्य सरकार के नियमानुसार 9, 18, 27 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण करने पर एक ही संवर्ग में (संतोष पूर्ण) चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है, तदनुसार कर्मचारी की पात्रता तिथि से पिछले 7 वर्षों की गोपनीय प्रतिवेदनों की जांच कर नियमानुसार चयनित वेतनमान स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है ।
9. राजस्थान सरकार के प्रत्येक कर्मचारी को प्रति वर्ष 30 जून को समाप्ति वर्ष में अपने कार्य के बारे में गोपनीय प्रतिवेदन भरना होता है, जिससे अपने से उच्च अधिकारी द्वारा वर्ष भर के कार्य का मूल्याकंन किया जाता है । (यह गोपनीय दस्तावेज है)
10. महाविद्यालय के प्राचार्य को राज्य सरकार द्वारा विभागाध्यक्ष प्रथम श्रेणी के अतिरिक्त घोषित किया गया है । अतः विभागाध्यक्ष की समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियां जो राज्य सरकार द्वारा देय हैं, निर्वहन के लिए उत्तरदायी हैं ।

द– सामान्य प्रशासन

सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत आयुक्तालय स्तर पर पत्रों के प्रेषण एवं प्राप्ति की सूचना जन सम्पर्क अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है ।

2– लेखा एवं वित्त अनुभाग

लेखा एवं वित्त प्रशासन से सम्बन्धित निम्न सूचनाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं ।

1. परिभाषायें – 1 महालेखाकार, 2 विनियोग, 3 बैंक, 4 सक्षम प्राधिकारी, 5 नियत्रंक एवं महालेखाकार परीक्षक, 6 राज्य की संचित निधि, 7 संविधान, 8 राज्य की आकस्मिकता निधि, 9 नियत्रंक अधिकारी, 10 विस्तृत शीर्ष, 11 आहरण एवं वितरण अधिकारी, 12 वित्त विभाग, 13 वित्तीय वर्ष, 14 राजपत्रित अधिकारी, 15 सरकार, 16 राज्यपाल, 17 विभागाध्यक्ष, 18 कार्यालयध्यक्ष, 19 स्थानीय निकाय, 20 स्थानीय निधि, 21 विविध व्यय, 22 अनावर्तक व्यय, 23 राज्य का लोक लेखा, 24 लोक निर्माण कार्य, 25 पुर्नविनियोग, 26 आवर्तक व्यय, 27 प्रादेशिक अधिकारी, 28 अधिनस्थ अधिकारी, 29 कोषागार देखें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम भाग 1 का नियम 2 पर

2. लेखा संवर्ग अधिकारियों के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व– देखें सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम खण्ड प्रथम भाग 1 के नियम 25 एवं परिशिष्ट 4 एवं 5 पर

3. आयोजना भिन्न मद में वित्तीय वर्षानुसार किये गये व्यय का विवरण :–

बजट से सम्बन्धित सूचना

(आयोजना भिन्न) राशि लाखों में

क्रसं	बजट मद	2009–10 स्वीकृत बजट		कुल व्यय	2010–11 स्वीकृत बजट		कुल व्यय
		बी.ई	आर.ई		बी.ई	आर.ई	
1.	22–2–03–001 (01) निदेशालय	531.37	635.12	617.11	661.82	784.70	773.30
2.	2202–03–103 (02) राज.महा. (पुरूषों के लिए)	19384.31	31322.28	31373.55	31261.28	34313.12	30402.20
3.	2202–03–103–(03) राजकीय महाविधालय (स्त्रियों के लिए)	4565.33	7075.66	7143.36	7261.13	8571.97	8072.25
4.	2202–03–796 जनजाति उपयोजना क्षेत्र – (03) राज. महा. (पुरूषों के लिए)	1231.80	1937.32	1742.39	1928.81	1930.60	1768.91
5.	2202–03–104 (02) गैर सरकारी महाविद्यालयों एवं संस्थानों को अनुदान	2750.0	2750.0	2749.36	2750.00	4250.00	4188.00
6.	2202–03–107 छात्रवृत्तियां						
	अ. छात्रवृत्तियां और वजीफा	2.00	2.00	0.78	2.00	2.00	0.69
	ब. उर्दू विषय के छात्रों को छात्रवृत्तियां	3.00	3.50	3.00	3.50	3.50	2.09
	स. पूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्तियां	5.50	5.50	4.07	5.50	5.50	1.72
	योग	10.50	11.00	7.85	11.00	11.00	4.50
	कुल योग	**28473.31**	**43731.38**	**43633.62**	**43874.04**	**49861.39**	**45209.16**

3– योजना एवं समन्वय प्रशासन अनुभाग

योजना एवं समन्वय प्रशासन अनुभाग से संबंधित निम्न लिखित सूचनाएं
उपलब्ध करायी जा सकती हैं :–

(A) . महाविद्यालयों का सम्बद्वन हेतु प्रावधान

महाविद्यालयों में संचालित संकायों/विषयों का सम्बद्वन सम्बन्धित विश्वविद्यालयों से करवाया जाना आवश्यक है । उसी के आधार पर सम्बन्धित विश्वविद्यालय विषय की परीक्षा का संचालन करता है । सम्बद्वन प्राप्त नहीं होने तक महाविद्यालय के छात्रों की परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकती ।

1. राज्य सरकार द्वारा घोषित नवीन नीति स्व वित्तपोषी योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय विकास समिति के माध्यम से नवीन महाविद्यालय खोलने तक विषय/संकाय/वर्ग प्रारम्भ करने महाविद्यालय को क्रमोन्नत करने एवं सीटें बढाने के प्राप्त प्रस्तावों पर राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जाती है ।
2. समस्त राजकीय महाविद्यालयों से शैक्षणिक कार्यभार प्राप्त कर गणना करने के पश्चात शैक्षणिक कार्यभार के आधार पर व्याख्याताओं के पदों का निर्धारण व्याख्याताओं की कमी होने पर उसी अनुरूप व्याख्याता के पद सृजन हेतु प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रेषित किये जाते हैं ।

(B) . भवन संबंधी प्रावधान

नवीन राजकीय महाविद्यालय प्रारम्भ करने के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 14(1)निकाशि/4/97 दिनांक 3.7.99 के द्वारा नवीन महाविद्यालय हेतु भूमि की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन द्वारा निजी संस्थाओं एवं दानदाताओं द्वारा निशुल्क रूप से की जावेगी । महाविद्यालय हेतु भवन का निर्माण केवल निर्धारित मानदण्डों के अनुसार स्थानीय जन सहयोग से किया जावेगा राज्य सरकार द्वारा भवन निर्माण हेतु किसी प्रकार की वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं करायी जायेगी ।

(C) . छात्रनिधि मद से राशि स्वीकृत करने का प्रावधान

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांक एफ 7(5)शिक्षा–3/04/दिनांक 3.9.04 एवं दिनांक 16.12.04 के अनुसार प्राचार्य स्नातक/स्नातकोत्तर को छात्रनिधी मद से राशि व्यय करने हेतु निम्न प्रकार शक्तियां प्रदान की गई :–

1. **दिनांक 3.9.04 से राशि लाखों में**
   प्राचार्य स्नातक स्तर 1.00 लाख
   प्राचार्य स्नातकोत्तर स्तर 1.50 लाख
   आयुक्त/ निदेशक 3.00 लाख
2. **दिनांक 16.12.04 से राशि लाखों में**
   प्राचार्य स्नातक स्तर 5.00 लाख
   प्राचार्य स्नातकोत्तर स्तर 8.00 लाख
   आयुक्त/ निदेशक 15.00 लाख
   3.9.04 से पूर्व संचित छात्रानिधि से / 3.9.04 के बाद एकत्रित कोष में से उपयुक्त (1) के अनुसार

(D) . महाविद्यालय के नव निर्मित भवन को अधिग्रहण करने का प्रावधान

महाविद्यालय के नव निर्मित भवन को अधिग्रहण करने हेतु निम्न सूचनायें आवश्यक हैं :–

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्राप्त भवन सुरक्षा पूर्णता एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
2. भूमि का स्वामित्व
3. महाविद्यालय संचालन हेतु मूलभूत सुविधाओं का उपलब्ध होना
4. वित्तीय देनदारियों के बकाया न होने का प्रमाणपत्र

(E) . टेलीफोन के संबंध में प्रावधान

नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करने की प्रशासनिक स्वीकृति के साथ ही टेलीफोन की स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है। बाद में टेलीफोन कनेक्शन की स्वीकृत वित्तीय वर्ष की बीएफसी के समय प्रदान की जाती है ।

(F) . महाविद्यालय के भवन का नामकरण का प्रावधान

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक जीएडी (ए) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1(57)जीए/ए/57 दिनांक 1.11.57 के अनुसार महाविद्यालय के नव निर्मित भवन की कुल लागत राशि का 51 प्रतिशत व्यय करने पर राजकीय शब्द के साथ दानदाता का नामकरण एवं 75 प्रतिशत राशि व्यय करनेपर केवल दानदाता का नामकरण किया जाता है । इसके अलावा राजकीय महाविद्यालयों के संबंध में शहीद / महापुरूष / स्वतंत्रता सेनानी आदि के प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो इसमें प्रशासनिक विभाग द्वारा केबिनेट मीमो तैयार कर मंत्रिमण्डल की बैठक में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है ।

1– विभाग की वार्षिक योजना के अन्तर्गत नवीन मदों हेतु राशि का प्रावधान किया जाता है । इसके अन्तर्गत राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय प्रारम्भ करना एवं महाविद्यालय को क्रमोन्नत करना भी सम्मिलित है । नवीन विषय प्रारम्भ करना तथा अन्य सभी नवीन योजनाओं हेतु बजट में प्रावधान करवाये जाने का कार्य किया जाता है ।

2– विभाग द्वारा वर्ष में की गई गतिविधियों उपलब्धियों तथा अन्य सूचनाओं को संकलित कर पुस्तिका छपवाकर तैयार करवाई जाती है ।

3– विभाग द्वारा नागरिक अधिकार पत्र जारी किया गया है जिसको समस्त महाविद्यालयों में लागू करवाया जा चुका है । इसकी सूचनाएं महाविद्यालयों से प्राप्त होती हैं जिनकी मोनिटरिंग की जाती है ।

4– राजकीय महाविद्यालयों में महाविद्यालय विकास समिति का गठन करने हेतु सभी कार्यों का संचालन किया जाता है

(G) . महाविद्यालयों को यूजीसी द्वारा अनुदान

यूजीसी से अनुदान प्राप्त करने हेतु राजकीय महाविद्यालय को यूजीसी के सेक्शन 2(एफ) एवं 12 (बी) में पंजीकृत कराया जाता है ।

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के लिए यूजीसी द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार यूजीसी से पंजीकृत महाविद्यालयों द्वारा विकास प्रस्ताव तैयार किये जाते हैं ।
यू.जी.सी. कमेटी द्वारा प्रस्तावों का परीक्षण किये जाने के बाद यूजीसी द्वारा ग्रान्ट प्रदान की जाती है।
यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ग्रान्ट का उपयोग महाविद्यालयों द्वारा किया जाता है।
महाविद्यालयों द्वारा ग्रान्ट का उपयोग करने पर लेखों की जांच कर आयुक्तालय
द्वारा यूसी जारी की जाती है ।

(H) .नैक द्वारा स्तरांकन

नैक द्वारा महाविद्यालयों का निरीक्षण कर ग्रेडिंग दी जाती है । After NAAC acreditation Colleges Constitute IQAC (Internal Quelity Assurance Cell)

(I) . – यूजीसी द्वारा 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निम्न योजनाएं चलायी गयी थी :–

S.No.	Schemes
1-	Books and Journals
2-	Equipment
3-	Maintenance of equipments
4-	Construction/extension/renovation of building
5-	Improvement of facilities inexisting premises
6-	Enhancement of intiative for competence building in College
7-	Examination reform
8-	Educational reform
9-	Field works/ study Tours (U.G. & P.G.)
10-	Extension Activities

Merged Schemes

S.No. Schemes

1- Rejuvenation of Infrastructure in old Colleges
2- "Catch-up" grants for young colleges
3- Colleges Located in Rural/Remote/Border/Hill/Tribal areas
4- Colleges with relatively higher proportion of SC/ST/OBC & Minorities
5- Special grant for enhancement of initiative for capacity building in colleges
6- Establishment of Day Care Centers in colleges
7- Colleges in Backward Areas
8- Establishment of UGC Net work Resource Center
9- Equal opportunity Center in collges
10- Remedial Coaching for SC/ST/OBC & Minorities
11- Coaching class for NET/SLET for SC/ST/OBC & Minorities
12- Coaching class for entry in services for SC/ST/OBC & Minorities
13- Schemes for Persons with Disabilities
A- Higher Education for Persons with Special Need (HEPSN)
B- Financial Assistance to Visually Challenged Teachers
14- Career and Counselling Cell

Other Schemes

S.No. Schemes

1- Dr. S.K. Kothari Post Doctroral Fellowship (PDFS)
2- Autonomous Colleges
3- Research Awards
4- Travel Grant Scheme for College teachers/college librians/vice chancellors/ commission members and UGC officers

5- Emeritus Fellowship
6- Post Graduate Indira Gandhi Scholarship Scheme for single girl Child applicable for the Year 2008-10
7- Post Graduate Merit Scholarship Scheme for University Rank Holders at under graduate level applicable for tthe Year 2008-10
8- Introducation of Career Oriented Courses in Universitites and Colleges
9- To Organise Conferences Workshops Seminars in Colleges
10- Special Scheme of Construction of Womes's Hostel for Colleges
11- A Scheme of Faculty Development Programme for Colleges
    a- Awards of Teacher Fellowship for doing M.Phil./ Ph.D
    b- Participation of Teachers in Academic Conferences in India (PTAC)
    c- Short term visit of Young Faculty members to reputed institutions
12- Major and Minor Research projects for Teachers
13- Jubliee and centenary grants
14- Colleges with potential for excellence
15- Due time catch up grants to uncovered (Non-12B) colleges
16- Development of sports infrastructure and equipment
17- For additional assistance to colleges already covered uner 12 (B)
18- Post Doctroral Fellowship to women candidates

(J) .वर्ष 2010–11 में आयोजना मद में आवंटित बजट एवं व्यय का विवरण

राशि लाखों में

क्र. सं.	बजट मद	स्वीकृत बजट		कुल व्यय
		आयव्ययक अनुमान	संशोधित अनुमान	
1	2202–2–03–001(01) निदेशालय	12.00	20.00	19.38
2	2202–2–03–(02) राजकीय महाविद्यालय पुरूषों के लिए	934.50	983.33	979.28
3	2202–2–03–(03)राज. महा. स्त्रियों के लिए	223.30	205.65	247.29
4	2202–2–03–796 जन जाति उपयोजना क्षेत्र	220.60	200.00	197.49
5	2202–2–03–107 छात्रवृत्तियां	70.00	70.00	44.57
6	2202–2–03–(09) युवा विकास केन्द्र	63.00	55.00	54.65
7	2202–2–03–(07) उच्च स्तरीय अध्ययन केन्द्र	40.00	35.00	34.80
8	2204–02–(01) महाविद्यालय 12–सहायतार्थ अनुदान एनएसएस	150.00	150.00	124.83
9	2202–2–03–789 अनुसूचित जातियों के लिए बुक बैंक योजना	10.00	10.00	9.92
10	2202–2–03–(08) विधि महाविद्यालय	0.02	0.02	–
11	4202–203–(01)भवन(90)निर्माण कार्य	305.58	500.00	500.00
12	2204–02–(01) महाविद्यालय 12–सहायतार्थ अनुदान एनएसएस (केन्द्रीय प्रवर्तित योजना)	210.00	210.00	174.76
	योग	2239.00	2439.00	2386.97

4– अकादमिक प्रशासन अनुभाग

अकादमिक प्रशासन से सम्बन्धित निम्न सूचनाएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं :–

सेमीनार अधिवेशन कार्यशाला इत्यादि से सम्बन्धित विदेश यात्रा के लिए एक समय में अधिकतम 10 दिवस के लिए अकादमिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है। पत्र वाचन अथवा शोध पत्र प्रस्तुत करने हेतु व्याख्याता को आमन्त्रण पत्र प्राप्त होने पर ही यह अवकाश देय होता है। यात्रा हेतु किसी भी प्रकार का व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाता है। एक सत्र में अकादमी कार्य हेतु एक व्याख्याता को अधिकतम 15 अकादमी अवकाश देय होते है।

10 दिन से अधिक का वास होने पर व्याख्याता को अकादमिक अवकाश के स्थान पर उपार्जित अवकाश हेतु आवेदन करना पडता है

रिफ्रेशर /ओरियन्टेशन कोर्स संबधी प्रावधान

यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रत्येक व्याख्याता को वरिष्ठ वेतनमान हेतु एक ओरियन्टेशन व एक रिफ्रेशर करना अनिवार्य है। तथा चयनित वेतनमान हेतु प्रत्येक व्याख्याता को दो रिफ्रेशर करना आवश्यक है।

वरिष्ठ वेतनमान हेतु पी.एच.डी. उपाधि धारक व्याख्याताओं को एक कोर्स की छूट प्राप्त करने पर पी.एच.डी. धारी व्याख्याताओं को 4 वर्ष में एवं एम फिल धारी व्याख्याताओं को 5 वर्ष में वरिष्ठ वेतनमान देय होता है।

समस्त व्याख्याताओं को वरिष्ठ वेतनमान प्राप्त होने की तिथि में पॅाच वर्ष उपरान्त चयनित वेतनमान देय होता है।

प्रवेश नियम सम्बन्धी प्रावधान

राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु प्रत्येक वर्ष प्रवेश नीति का प्रकाशन किया जाता है। राजकीय महाविद्यालयों के स्नातक पाठयक्रमों में प्रथम वर्ष के सामान्य पाठयक्रम में कला वाणिज्य संकाय में न्यूनतम 45 प्रतिशत एवं विज्ञान संकाय में 48 प्रतिशत पर प्रवेश दिया जा सकता है। कला एवं वाणिज्य में आनर्स पाठयक्रम में 48 प्रतिशत एवं विज्ञान संकाय में 50 प्रतिशत न्यूनतम वाले छात्र प्रवेश पा सकते है।

स्नात्तकोतर कक्षाओं में एम.ए. व एम. कॉम. में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 48 प्रतिशत अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत तथा एम.एस.सी. में प्रवेश हेतु न्यूनतम 55 प्रतिशत अथवा आवेदित विषय में न्यूनतम 55 प्रतिशत पर छात्र प्रवेश पा सकते है। स्नातकोत्तर स्तर पर सभी संकायों में राजस्थान राज्य के बाहर के विद्यार्थियों हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्रवेश के लिए आवश्यक होते है।

विधि संकाय के स्नातक पाठयक्रम में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा स्नातकोत्तर में प्रवेश हेतु विधि स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक आवश्यक होते है।

प्रवेश नीति की बिन्दु संख्या 2.3 (ब) अनुसार स्नातकोत्तर कक्षा में अन्य संकाय में प्रवेश हेतु जो 20 प्रतिशत स्थान आरक्षित है उनमें 55 प्रतिशत प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर अर्हकारी परीक्षा के प्रवेश योग्यता प्रतिशत को कम करते हुये वरीयता के निम्नगामी क्रम में आरक्षित नियतांश पूर्ण होने तक प्रवेश में रियायत देय है।

प्रवेश नीति के षष्टम भाग – आरक्षण, रियायतें एंव लाभ के अन्तर्गत विशेष पिछडा वर्ग (गुर्जर, रेबारी, राईका, गाडिया लुहार, गाडोलिया, बन्जारा, बालदिया एवं लबाना)हेतु एक प्रतिशत स्थान प्रवेश प्रक्रिया में आरक्षित किये गये।

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य नियम जो संकाय /विषय परिवर्तन, प्रवेश अस्वीकार निवासी परिभाषा,अनुतीर्ण विद्यार्थियों का प्रवेश, पूरक परीक्षा के योग्य घोषित अभ्यर्थी का प्रवेश, एम फिल पाठयक्रम अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछडी जाति (चिकनी परत को छोडकर) के अभ्यर्थी विकलांग अभ्यर्थी प्रतिरक्षा सेवा के पुत्र–पुत्री को देय आरक्षण रियायतें एवं लाभ, स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश, स्वयंपाठी अभ्यर्थी का इत्यादि से संबधित है। वे प्रवेश नीति 2010–11 में उपलब्ध है।

कम्प्यूटर शिक्षा संबधी प्रावधान

राज्य के महाविद्यालयों के सभी विद्यार्थियों कोसूचना तकनीकी ज्ञान की आधारभूत जानकारी उपलब्ध कराने हेतुसमस्त राजकीय महाविद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षण के लिए दिनांक 10.8.2009 अनुबन्धानुसार को कम्प्यूटर फर्म एजूकॉम सोल्यूशन्स लिमिटेड से एक अनुबन्ध हुआ जिसमें फर्म एवं आयुक्तालय के दायित्व निर्धारित किए गए।

अनुबन्ध अनुसार समस्त आधारभूत संरचनाएं जैसे हार्डवेयर, साफ्टवेयर, कन्ज्यूमेबल, फर्नीचर, टीचिग फैकेल्टी, इत्यादि फर्म को उपलब्ध करवानी होती है।

विश्वविद्यालय परीक्षा संबधी प्रावधान

विश्वविद्यालय परीक्षा के संदर्भ में समस्त राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्या को सुरक्षित एंव अनुकुलतम वातावरण बनाए रखने हेतु निर्देशित किया जाता है।

प्राचार्यो को छात्रों द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए तथा पेपर एंव कापियों की पूर्ण सुरक्षा हेतु भी निर्देशित किया जाता है।

छात्र हडताल /ज्ञापन संबधी प्रावधान

राजकीय महाविद्यालयों के छात्रों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन व मांगों का आंकलन कर उन पर उचित निर्णय ले नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। जो ज्ञापन राज्य सरकार से संबंधित होते है। उन पर निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जाता है।

अकादमी सेमीनार /अधिवेशन संबधित

राज्य के राजकीय महाविद्यालयों के व्याख्याताओं के लिए सेमीनार अधिवेशन एवं कार्यशाला में भाग लेने के लिए प्रत्येक व्याख्याता का एक सत्र में अधिकतम 15 अकादमिक अवकाश देय होते है। अकादमी अवकाश 31 जनवरी केपश्चात देय नहीं होतें।

5– अनुदान अनुभाग

अनुदान अनुभाग से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं :–'

1. नवीन महाविद्यालय खोलने के लिए एनओसी जारी करने के प्रावधान/प्रकिया राज्य सरकार द्वारा उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु प्रति वर्ष निजी क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोलने के लिए राजस्थान गैर सरकारी शैक्षणिक संस्था (मान्यता, अनुदान सेवा शर्तें आदि) नियम 1993 के परिशिष्ट 2 नियम 5 सब क्लॉज 1 प्रदत्त प्रावधानों एवं राज्य सरकार से प्रति वर्ष अनुमोदित दिशा निर्देशों में वित्तीय मानदण्ड़ एवं शर्तें दी गई हैं । इन शर्तों की पालना करने वाली संस्था को निजी क्षेत्र में महाविद्यालय खोलने हेतु राज्य सरकार की अनुमति पश्चात् विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैं । इस हेतु संस्था को निर्धारित अवधि में नियमानुसार आवेदन करना होता है।(देखें विभागीय वेबसाईट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in)

2 सत्र 2010–11 से विभाग द्वारा स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने हेतु सीधे ही विश्वविद्यालय को आवेदन कर सकते हैं इस विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होगी । विभाग से अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त महाविद्यालय केवल स्नातक स्तर पर ही नवीन विषय, नियमानुसार शुल्क संलग्न कर प्राप्त कर सकते है।

3. अस्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र संस्थाओं को प्रति वर्ष निर्धारित अवधि में नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र में अभिवृद्धि हेतु आवेदन करना होता हैं जिस परविभाग द्वारा नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता हैं ।

4. तीन वर्ष पश्चात् संस्था स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु पात्र होती है। जिसके लिए संस्था को निर्धारित अवधि में नियमानुसार आवेदन करना होता हैं । विभाग द्वारा ऐसे महाविद्यालयों का सक्षम अधिकारी से निरीक्षण करवाया जाता है। निरीक्षण रिपोर्ट एवं दस्तावेजों के परीक्षण पश्चात् यदि कमियॉ होती है तो पूर्ति करवाई जाती है। मानदण्ड़ पूर्ण होने पर राज्य सरकार से अनुमोदन उपरांत स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

5. अनुदान स्वीकृति के प्रावधान देखें राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 के नियम 1993 के अध्याय 2–3 के नियम लगायत 13 ।

6– कार्मिक अनुभाग

1. गोपनीय प्रतिवेदन में संतोषजनक, अच्छी एवं सर्वोत्तम प्रविष्टि से संबंधित प्रावधान – देखें वार्षिक कार्य मूल्याकंन प्रतिवेदन भरने संबंधी निर्देश, 1976 संस्करण –2000 मुद्रित ओसवाल प्रिन्टर्स एण्ड स्टेशनर्स, जयपुर ।
2. अन्यत्र में पूर्व सेवा को जोडने संबंधी प्रावधान– देखें राजस्थान सिविल सर्विस पेंशन (नियम 1996 के नियम 1927 के तहत)
3. **व्याख्याताओं को वरिष्ठ वेतनमान एवं चयनित वेतनमान स्वीकृत के प्रावधान** :–

   वरिष्ठ वेतनमान – लगातार सेवा से 6 वर्ष की सेवा पर –2 कोर्स करना अनिवार्य पीएचडी होने पर 4 वर्ष की सेवा पर 1 कोर्स करना अनिवार्य एम.फिल. होने पर 5 वर्ष की सेवा पर 2 कोर्स करना अनिवार्य

   चयनित वेतनमान की देयता–

   वरिष्ठ वेतनमान स्वीकृति के 5 वर्ष बाद

   दो कोर्स पूर्ण करने पर (समयावधि में) इन दोनों प्रकरणों में व्याख्याताओं की उक्त वर्षों की गोपनीय प्रतिवेदन संतोषजनक होना आवश्यक है ।
4. पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. को भी वरिष्ठ / चयनित वेतनमान दिये जाने का प्रावधान है ।
5. पुस्तकालयाध्यक्ष एवं पी.टी.आई. की पदोन्नति का प्रावधान है ।
6. विभागीय स्तर पर कार्यालय अधीक्षक, कार्यालय सहायक, वरिष्ठ लिपिक,कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ प्रयोग शाला सहायक, निजी सहायक, वरिष्ठ निजी सहायक, निजी सचिव पद पर पदोन्नति दिये जाने का प्रावधान है ।
7. वरिष्ठता सूची (राजपत्रित /अराजपत्रित कर्मचारी) का निर्धारण ।
8. राजपत्रित/अराजपत्रित कर्मचारियों के नियमितिकरण व स्थाई करण ।
9. सेवा नियम बनाना व संशोधन प्रस्ताव तैयार करना ।
10. अराजपत्रित कर्मचारियों को 9.18.27 वर्ष की सेवा उपरान्त चयनित वेतनमान स्वीकृत करना ।
11. व्याख्याताओं का नियमित्तिकरण ।
12. दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमित्तिकरण ।

7– विधि अनुभाग

निदेशालय स्तर पर विधि अनुभाग में कालेज शिक्षा विभाग से सम्बन्धित न्यायिक प्रकरणों का संधारण किया जाता है । राज्य सरकार द्वारा दायर अपील आदि का भी संधारण किया जाता है ।

8– छात्रवृत्ति संबंधित प्रावधान

विभिन्न छात्रवृत्तियों की दरे एवं पात्रता की आवश्यक जानकारी

क. सं.	छात्रवृत्ति का नाम	पात्रता एवं अन्य शर्तें	छात्रवृत्ति राशि		अवधि	आवश्यक बजट व्यवस्था एवं प्रावधान	वर्ष 2010–11 के लिये बजट आवंटन
			दर	छात्रावास दर			
1	आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति	वार्षिक आय सीमा रू. 20,000/– 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्तांक	रू. 120/– प्रतिमाह (प्रथम वर्ष) रू. 180/– प्रतिमाह नवीनीकरण (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) रू. 240/– पी.जी. हेतु	रू. 200/– प्रतिमाह (UG) रू. 600/– प्रतिमाह (PG)	एडमिशन तिथि से जुलाई से मार्च आगामी वर्ष में अप्रेल से मार्च तक	2202– सामान्य शिक्षा (03) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103– राजकीय कालेज तथा संस्थान 107– छात्रवृत्तियॉ (01)– छात्रवृत्तियां और वजीफा (आयोजना)	रू. 35.00 लाख आयोजना मद
2	महिला योग्यता छात्रवृत्ति	वार्षिक आय सीमा रू. 1,00,000/– 60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्तांक	रू. 120/– प्रतिमाह (प्रथम वर्ष) रू. 180/– प्रतिमाह नवीनीकरण (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) रू. 240/– पी.जी. हेतु	रू. 200/– प्रतिमाह (UG) रू. 600/– प्रतिमाह (PG)	एडमिशन तिथि से जुलाई से मार्च आगामी वर्ष में अप्रेल से मार्च तक	2202– सामान्य शिक्षा (03) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103– राजकीय कालेज तथा संस्थान 107– छात्रवृत्तियॉ (01)– छात्रवृत्तियां और वजीफा (आयोजना)	रू. 35.00 लाख आयोजना मद
3	मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	आय सीमा नहीं	रू. 500/– दस माह के लिए स्नातक डिग्री शिक्षा हेतु रू. 750/– दस माह के लिए पी.जी. शिक्षा हेतु	–	10 माह हेतु देय जुलाई से अप्रेल तक	2202– सामान्य शिक्षा (03) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103– राजकीय कालेज तथा संस्थान 107– छात्रवृत्तियॉ (01)– छात्रवृत्तियां और वजीफा (आयोजना भिन्न)	रू. 0.45 लाख आयोजना भिन्न मद
4	स्वतंत्रता सैनानियों के पुत्र, पुत्री तथा पौत्र पौत्रियों को देय छात्रवृत्ति	आय सीमा रू. 14,400 वार्षिक	रू. 60/– प्रतिमाह से	–	जुलाई से मार्च तक 9 माह के लिए	2202– सामान्य शिक्षा (03) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103– राजकीय कालेज तथा संस्थान 107– छात्रवृत्तियॉ (01)– छात्रवृत्तियां और वजीफा (आयोजना भिन्न)	रू. 0.01 लाख आयोजना भिन्न मद
5	भारतीय सैन्य महाविद्यालय देहरादून	कोई आय सीमा नहीं है	रू. 2700/– वार्षिक	–	–	2202– सामान्य शिक्षा (03) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103– राजकीय कालेज	रू. 0.30 लाख आयोजना भिन्न

						तथा संस्थान 107– छात्रवृत्तियॉ (01)– छात्रवृत्तियां और वजीफा (आयोजना भिन्न)	
6	कारगिल कार्यवाही में शहीद हुए सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति	कोई आय सीमा नहीं है	रू. 300/– प्रतिमाह सभी कक्षाओं के लिए	–	जुलाई से मार्च तक 9 माह के लिए	2202– सामान्य शिक्षा (03) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103– राजकीय कालेज तथा संस्थान 107– छात्रवृत्तियॉ (01)– छात्रवृत्तियां और वजीफा (आयोजना भिन्न)	रू. 0.49 लाख आयोजना भिन्न
7	संगीत एवं कला छात्रवृत्ति	60 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्तांक को देय तथ आयकर दाता नहीं है ।	रू. 60/– प्रतिमाह (प्रथम वर्ष) रू. 90/– प्रतिमाह (द्वितीय एवं तृतीय वर्ष) संगीत निपुण के लिए रू. 120/– प्रतिमाह	–	–	2202– सामान्य शिक्षा (03) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103– राजकीय कालेज तथा संस्थान 107– छात्रवृत्तियॉ (01)– छात्रवृत्तियां और वजीफा (आयोजना भिन्न)	रू. 0.50 लाख आयोजना भिन्न
8	शोध छात्रवृत्ति	कोई आय सीमा नहीं	रू. 2500/– प्रतिमाह से देय	–	–	राज्य सरकार के आयोजना भिन्न मद से देय	रू. 0.70 लाख आयोजना भिन्न
9	ऊर्दू छात्रवृत्ति	1. उत्तीर्ण परीक्षा में 60 प्रतिशत प्राप्तांक होना आवश्यक है । 2. आयकर दाता नहीं होना चाहिए ।	रू. 100/– स्नातक डिग्री के लिए रू. 150/– स्नातकोत्तर डिग्री के लिए	–	जुलाई से मार्च तक 9 माह के लिए प्रवेश तिथि से देय	2202– सामान्य शिक्षा (03) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 107– छात्रवृत्तियॉ (02)– ऊर्दू विषय के छात्रों को छात्रवृत्ति (आयोजना भिन्न)	रू. 3.50 लाख आयोजना भिन्न
10	भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	कोई आय समीा नहीं है परन्तु आयकर दाता नहीं हो	रू. 150/– प्रतिमाह सभी कक्षाओं के लिए	–	एडमिशन तिथि से देय	2202– सामान्य शिक्षा (03) – विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा 103– राजकीय कालेज तथा संस्थान 107– छात्रवृत्तियॉ (03)– भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को छात्रवृत्ति (आयोजना भिन्न)	रू. 5.50 लाख आयोजना भिन्न

9— सूचना के अधिकार का क्रियान्वयन

निदेशालय कालेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के कार्यालय में सूचना के अधिकार बाबत एक अनुभाग गठित किया गया है जिसमें निम्नानुसार स्टाफ नियुक्त है :—

1. **निदेशक — श्री सुबीर कुमार — अपीलीय अधिकारी**
2. **श्री जे. पी वर्मा , संयुक्त निदेशक — लोक सूचना अधिकारी**
3. **डा. दीपाली भार्गव, व्याख्याता — सहायक लोक सूचना अधिकारी**
4. **श्री मुरली मनोहर शुक्ला — कनिष्ठ लिपिक**

(For latest status kindly consult Contact Us page of website of Department of College Education)

राजस्थान के समस्त राजकीय महाविद्यालयों हेतु निर्देश—

1— राज्य के सभी राजकीय महाविद्यालयों एवं अनुदानित महाविद्यालयों में पदेन प्राचार्य लोक सूचना अधिकारी होगा एवं उपाचार्य, सहायक लोक सूचना अधिकारी होगा । उपाचार्य का पद स्वीकृत नहीं होने पर वरिष्ठ व्याख्याता सहायक लोक सूचना अधिकारी होगा ।

2— सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की पुस्तक में उल्लेखित नियमों/अधिनियमों को मध्य नजर रखते हुए प्राचार्य/लोक सूचना अधिकारी अपने स्तर पर आवेदक को नियमानुसार शुल्क लेकर सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना/दस्तावेज आदि समय पर प्रदाय करेंगे ।

लोक सूचना/सहायक लोक सूचना अधिकारियों की सूची

क.सं.	महाविद्यालय का नाम	स्थान	लोक सूचना अधिकारी का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम
1	राजकीय महाविद्यालय	अजमेर	प्राचार्य	उपाचार्य
2	राजकीय महाविद्यालय	अलवर	प्राचार्य	उपाचार्य
3	राजकीय कला महाविद्यालय	अलवर	प्राचार्य	उपाचार्य
4	राजकीय महाविद्यालय	बालोतरा	प्राचार्य	उपाचार्य
5	राजकीय महाविद्यालय	बांसवाडा	प्राचार्य	उपाचार्य
6	राजकीय महाविद्यालय	बारां	प्राचार्य	उपाचार्य
7	राजकीय महाविद्यालय	बाडमेर	प्राचार्य	उपाचार्य
8	राजकीय महाविद्यालय	ब्यावर	प्राचार्य	उपाचार्य
9	राजकीय महाविद्यालय	भरतपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
10	राजकीय महाविद्यालय	भीलवाडा	प्राचार्य	उपाचार्य
11	राजकीय महाविद्यालय	बीबीरानी	प्राचार्य	उपाचार्य
12	राजकीय महाविद्यालय	बीकानेर	प्राचार्य	उपाचार्य
13	राजकीय महाविद्यालय	बून्दी	प्राचार्य	उपाचार्य
14	राजकीय महाविद्यालय	चिमनपुरा	प्राचार्य	उपाचार्य
15	राजकीय महाविद्यालय	चित्तौडगढ	प्राचार्य	उपाचार्य
16	राजकीय महाविद्यालय	चुरू	प्राचार्य	उपाचार्य
17	राजकीय महाविद्यालय	दौसा	प्राचार्य	उपाचार्य
18	राजकीय महाविद्यालय	डीडवाना	प्राचार्य	उपाचार्य

19	राजकीय महाविद्यालय	धौलपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
20	राजकीय महाविद्यालय	डूंगरपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
21	राजकीय महाविद्यालय	हनुमानगढ	प्राचार्य	उपाचार्य
22	राजकीय महाविद्यालय	जैसलमेर	प्राचार्य	उपाचार्य
23	राजकीय महाविद्यालय	जालोर	प्राचार्य	उपाचार्य
24	राजकीय महाविद्यालय	झालावाड	प्राचार्य	उपाचार्य
25	राजकीय महाविद्यालय	झुंझूनू	प्राचार्य	उपाचार्य
26	राजकीय महाविद्यालय	कालाडेरा	प्राचार्य	उपाचार्य
27	राजकीय महाविद्यालय	करौली	प्राचार्य	उपाचार्य
28	राजकीय महाविद्यालय	खेतडी	प्राचार्य	उपाचार्य
29	राजकीय महाविद्यालय	किशनगढ़	प्राचार्य	उपाचार्य
30	राजकीय महाविद्यालय	कोटा	प्राचार्य	उपाचार्य
31	राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय	कोटा	प्राचार्य	उपाचार्य
32	राजकीय महाविद्यालय	कोटपुतली	प्राचार्य	उपाचार्य
33	राजकीय महाविद्यालय	नागौर	प्राचार्य	उपाचार्य
34	राजकीय महाविद्यालय	नाथद्वारा	प्राचार्य	उपाचार्य
35	राजकीय महाविद्यालय	नीमका थाना	प्राचार्य	उपाचार्य
36	राजकीय महाविद्यालय	पाली	प्राचार्य	उपाचार्य
37	राजकीय महाविद्यालय	प्रतापगढ	प्राचार्य	उपाचार्य
38	राजकीय महाविद्यालय	राजगढ	प्राचार्य	उपाचार्य
39	राजकीय महाविद्यालय	सांभरलेक	प्राचार्य	उपाचार्य
40	राजकीय महाविद्यालय	श्रीगंगानगर	प्राचार्य	उपाचार्य
41	राजकीय महाविद्यालय	सीकर	प्राचार्य	उपाचार्य
42	राजकीय महाविद्यालय	सिरोही	प्राचार्य	उपाचार्य
43	राजकीय महाविद्यालय	सवाई माधोपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
44	राजकीय महाविद्यालय	शाहपुरा	प्राचार्य	उपाचार्य
45	राजकीय महाविद्यालय	सुजानगढ	प्राचार्य	उपाचार्य
46	राजकीय महाविद्यालय	टोंक	प्राचार्य	उपाचार्य
47	राजकीय महाविद्यालय	आबूरोड	प्राचार्य	उपाचार्य
48	राजकीय महाविद्यालय	आमेट	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
49	राजकीय महाविद्यालय	बांदीकुई	प्राचार्य	उपाचार्य
50	राजकीय महाविद्यालय	बयाना	प्राचार्य	उपाचार्य
51	राजकीय महाविद्यालय	बहरोड	प्राचार्य	उपाचार्य
52	राजकीय महाविद्यालय	भवानीमण्डी	प्राचार्य	उपाचार्य
53	राजकीय महाविद्यालय	भीम	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
54	राजकीय महाविद्यालय	भीनमाल	प्राचार्य	उपाचार्य
55	राजकीय महाविद्यालय	भोपालगढ	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
56	राजकीय महाविद्यालय	डीग	प्राचार्य	उपाचार्य
57	राजकीय महाविद्यालय	देवली	प्राचार्य	उपाचार्य
58	राजकीय महाविद्यालय	गंगापुरसिटी	प्राचार्य	उपाचार्य
59	राजकीय महाविद्यालय	हिण्डोनसिटी	प्राचार्य	उपाचार्य
60	राजकीय महाविद्यालय	जैतारण	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
61	राजकीय महाविद्यालय	केकडी	प्राचार्य	उपाचार्य
62	राजकीय महाविद्यालय	केलवाडा	प्राचार्य	उपाचार्य
63	राजकीय महाविद्यालय	खैरवाडा	प्राचार्य	उपाचार्य
64	राजकीय महाविद्यालय	कोटडा	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
65	राजकीय महाविद्यालय	कुशलगढ	प्राचार्य	उपाचार्य
66	राजकीय महाविद्यालय	लालसोट	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
67	राजकीय महाविद्यालय	मालपुरा	प्राचार्य	उपाचार्य

68	राजकीय महाविद्यालय	माण्डलगढ	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
69	राजकीय महाविद्यालय	मण्डफिया	प्राचार्य	उपाचार्य
70	राजकीय महाविद्यालय	मेडता सिटी	प्राचार्य	उपाचार्य
71	राजकीय महाविद्यालय	नसीराबाद	प्राचार्य	उपाचार्य
72	राजकीय महाविद्यालय	निम्बाहेडा	प्राचार्य	उपाचार्य
73	राजकीय महाविद्यालय	नोहर	प्राचार्य	उपाचार्य
74	राजकीय महाविद्यालय	नोखा	प्राचार्य	उपाचार्य
75	राजकीय महाविद्यालय	फलोदी	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
76	राजकीय महाविद्यालय	पोकरण	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
77	राजकीय महाविद्यालय	राजसमन्द	प्राचार्य	उपाचार्य
78	राजकीय महाविद्यालय	रामगंज मण्डी	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
79	राजकीय महाविद्यालय	रामगढ	प्राचार्य	उपाचार्य
80	राजकीय महाविद्यालय	रतनगढ	प्राचार्य	उपाचार्य
81	राजकीय महाविद्यालय	सागवाडा	प्राचार्य	उपाचार्य
82	राजकीय महाविद्यालय	सलूम्बर	प्राचार्य	उपाचार्य
83	राजकीय महाविद्यालय	सरदारशहर	प्राचार्य	उपाचार्य
84	राजकीय महाविद्यालय	शिवगंज	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
85	राजकीय महाविद्यालय	सोजतसिटी	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
86	राजकीय महाविद्यालय	सूरतगढ	प्राचार्य	उपाचार्य
87	राजकीय महाविद्यालय	तारानगर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
88	राजकीय महाविद्यालय	थानागाजी	प्राचार्य	उपाचार्य
89	राजकीय महाविद्यालय	टोडाभीम	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
90	राजकीय महाविद्यालय	उनियारा	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
91	राजकीय महिला महाविद्यालय	अलवर	प्राचार्य	उपाचार्य
92	राजकीय महिला महाविद्यालय	बारां	प्राचार्य	उपाचार्य
93	राजकीय महिला महाविद्यालय	भरतपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
94	राजकीय महिला महाविद्यालय	भीलवाडा	प्राचार्य	उपाचार्य
95	राजकीय महिला महाविद्यालय	बीकानेर	प्राचार्य	उपाचार्य
96	राजकीय महिला महाविद्यालय	जैसलमेर	प्राचार्य	उपाचार्य
97	राजकीय महिला महाविद्यालय	झालावाड	प्राचार्य	उपाचार्य
98	राजकीय महिला महाविद्यालय	कोटा	प्राचार्य	उपाचार्य
99	राजकीय महिला महाविद्यालय	श्रीगंगानगर	प्राचार्य	उपाचार्य
100	राजकीय महिला महाविद्यालय	उदयपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
101	राजकीय महिला महाविद्यालय	अजमेर	प्राचार्य	उपाचार्य
102	राजकीय महिला महाविद्यालय	बालोतरा	प्राचार्य	उपाचार्य
103	राजकीय महिला महाविद्यालय	बांसवाडा	प्राचार्य	उपाचार्य
104	राजकीय महिला महाविद्यालय	बाडमेर	प्राचार्य	उपाचार्य
105	राजकीय महिला महाविद्यालय	बून्दी	प्राचार्य	उपाचार्य
106	राजकीय महिला महाविद्यालय	चित्तौडगढ	प्राचार्य	उपाचार्य
107	राजकीय महिला महाविद्यालय	चौमू	प्राचार्य	उपाचार्य
108	राजकीय महिला महाविद्यालय	दौसा	प्राचार्य	उपाचार्य
109	राजकीय महिला महाविद्यालय	डूंगरपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
110	राजकीय महिला महाविद्यालय	जालोर	प्राचार्य	उपाचार्य
111	राजकीय महिला महाविद्यालय	झुंझूनू	प्राचार्य	उपाचार्य
112	राजकीय महिला महाविद्यालय	करौली	प्राचार्य	उपाचार्य
113	राजकीय महिला महाविद्यालय	कोटपुतली	प्राचार्य	उपाचार्य
114	राजकीय महिला महाविद्यालय	नागौर	प्राचार्य	उपाचार्य
115	राजकीय महिला महाविद्यालय	नाथद्वारा	प्राचार्य	उपाचार्य
116	राजकीय महिला महाविद्यालय	नीमका थाना	प्राचार्य	उपाचार्य

117	राजकीय महिला महाविद्यालय	पाली	प्राचार्य	उपाचार्य
118	राजकीय महिला महाविद्यालय	पीपाडसिटी	प्राचार्य	उपाचार्य
119	राजकीय महिला महाविद्यालय	रतनगढ	प्राचार्य	उपाचार्य
120	राजकीय महिला महाविद्यालय	सादुलशहर	प्राचार्य	उपाचार्य
121	राजकीय महिला महाविद्यालय	सवाई माधोपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
122	राजकीय महिला महाविद्यालय	शाहपुरा	प्राचार्य	उपाचार्य
123	राजकीय महिला महाविद्यालय	सिरोही	प्राचार्य	उपाचार्य
124	राजकीय महिला महाविद्यालय	टोंक	प्राचार्य	उपाचार्य
125	राजस्थान स्कूल आफ आर्ट,	जयपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
126	राजस्थान संगीत संस्थान	जयपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
127	राजकीय विधि महाविद्यालय	अजमेर	प्राचार्य	उपाचार्य
128	राजकीय विधि महाविद्यालय	अलवर	प्राचार्य	उपाचार्य
129	राजकीय विधि महाविद्यालय	बीकानेर	प्राचार्य	उपाचार्य
130	राजकीय विधि महाविद्यालय	भरतपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
131	राजकीय विधि महाविद्यालय	भीलवाडा	प्राचार्य	उपाचार्य
132	राजकीय विधि महाविद्यालय	कोटा	प्राचार्य	उपाचार्य
133	राजकीय विधि महाविद्यालय	सीकर	प्राचार्य	उपाचार्य
134	राजकीय विधि महाविद्यालय	श्रीगंगानगर	प्राचार्य	उपाचार्य
135	राजकीय विधि महाविद्यालय	सिरोही	प्राचार्य	उपाचार्य
136	राजकीय विधि महाविद्यालय	बून्दी	प्राचार्य	उपाचार्य
137	राजकीय विधि महाविद्यालय	झालावाड	प्राचार्य	उपाचार्य
138	राजकीय विधि महाविद्यालय	चुरू	प्राचार्य	उपाचार्य
139	राजकीय विधि महाविद्यालय	धौलपुर	प्राचार्य	उपाचार्य
140	राजकीय विधि महाविद्यालय	नागौर	प्राचार्य	उपाचार्य
141	राजकीय विधि महाविद्यालय	पाली	प्राचार्य	उपाचार्य
142	आदर्श डिग्री गर्ल्स कॉलेज,	अजमेर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
143	दयानन्द कॉलेज,	अजमेर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
144	दयानन्द आर्य बालिका महाविद्यालय,	ब्यावर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
145	सावित्री गर्ल्स कॉलेज,	अजमेर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
146	श्री प्राज्ञ महाविद्यालय, बिजयनगर,	अजमेर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
147	सोफिया गर्ल्स कॉलेज, अजमेर	अजमेर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
148	विजयसिंह पथिक श्रमजीवी कॉलेज,	अजमेर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
149	आर्य विद्यापीठ पी.जी.गर्ल्स कॉलेज,	भुसावर, भरतपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
150	श्री बांकेबिहारी कन्हैयालाल महिला महाविद्यालय,	डीग–321203	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
151	आचार्य श्री तुलसीअमृत महाविद्यालय,	गंगापुर, भीलवाड़ा	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
152	बी.जे.एस. रामपुरिया जैन कालेज,	बीकानेर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
153	बिनानी कन्या महाविद्यालय,	बीकानेर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
154	श्री जैन पी.जी. कॉलेज,	बीकानेर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
155	श्री नेहरू शारदा पीठ,	बीकानेर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
156	चूरू गर्ल्स कॉलेज,	चूरू	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
157	मोहता कॉलेज,	सादुलपुर 331023	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
158	श्रीमती के.डी.जी. मित्तल गर्ल्स कॉलेज,	सरदारशहर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
159	सोनादेवी सेठिया कन्या महाविद्यालय,	सुजानगढ़	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
160	स्वामी केशवानन्द महाविद्यालय, ग्रामोत्थान विद्यापीठ,.	संगरिया, हनुमानगढ	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
161	मीरा कन्या महाविद्यालय,	संगरिया, हनुमानगढ	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
162	सरस्वती गर्ल्स कॉलेज, जंक्शन – 335512	हनुमानगढ़	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
163	अग्रवाल कॉलेज,	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
164	गाँधी महिला महाविद्यालय,	किशनगढ़ रेनवाल	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
165	कानोडिया महिला महाविद्यालय,	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता

166	लालबहादुर शास्त्री महाविद्यालय,	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
167	एस.एस.जी. पारीक पी.जी. कॉलेज,	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
168	एस.एस.जी. पारीक महिला कॉलेज,	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
169	एस.एस. जैन सुबोध महाविद्यालय,	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
170	संत जयाचार्य महिला महाविद्यालय,	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
171	श्री खण्डेलवाल वैश्य गर्ल्स कॉलेज, संसार चन्द रोड	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
172	श्री वीर बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय,	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
173	श्री सत्य सांई कालेज फॉर विमेन, जवाहर नगर,	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
174	श्री भवानी निकेतन गर्ल्स कॉलेज,	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
175	वैदिक कन्या महाविद्यालय,	जयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
176	सेठ ज्ञानीराम बंसीधर पोद्दार कालेज,	नवलगढ़	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
177	सेठ मोतीलाल स्नातकोत्तर कॉलेज, राणी सती रोड	, झुंझंनु	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
178	चिड़ावा कॉलेज,	चिडावा 333026	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
179	इंदिरागांधी बालिका निकेतन,	अरडावता	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
180	जे.बी. शाह गर्ल्स कॉलेज, मण्डावा रोड,	झुंझन	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
181	महेन्द्र कुमार साबू कॉलेज ऑफ कामर्स,	पिलानी 333031	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
182	सेठ गंगाधर शिवभगवान पटवारी कॉलेज,	बग्गड	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
183	कनोडिया कॉलेज, (शारदा सदन कॉलेज)	मकुन्दगढ़ झुंझनूं–333705	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
184	गिन्नीदेवी सत्यनारायण सेक्सरिया गर्ल्स कॉलेज,	चिड़ावा	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
185	विनोदनी स्नातकोत्तर कॉलेज,	राजोता, खेतड़ी	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
186	लाचू मेमोरियल कॉलेज ऑफ साईंस एण्ड टेक्नोलोजी,	जोधपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
187	महिला महाविद्यालय,	जोधपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
188	ओंकारमल सोमानी कॉलेज ऑफ कॉमर्स,	जोधपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
189	**राजस्थानी शोध संस्थान,**	जोधपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
190	श्री लादूराम अगरचन्द गोलेछा कॉलेज,	खींचन, फलोदी	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
191	कुचामन कॉलेज,	कुचामन सिटी, नागौर 341508	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
192	श्री जैन तेरापंथ कॉलेज,	राणावास, पाली	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
193	एस.पी.यू. पी.जी. महाविद्यालय,	फालना, पाली	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
194	अग्रवाल कन्या महाविद्यालय, जयपुर रोड,	गंगापुरसिटी	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
195	सेठ जी.आर. चमड़िया कालेज,	फतेहपुर शेखावाटी	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
196	सेठ राम कृष्ण धानुका गर्ल्स कॉलेज,	फतेहपुर शेखावाटी	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
197	श्री भगवान दास तोदी कॉलेज,	लक्ष्मणगढ़	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
198	श्री कृष्ण सत्संग बालिका महाविद्यालय,	सीकर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
199	महर्षि दयानन्द गर्ल्स कॉलेज,	रायसिंहनगर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
200	ज्ञान ज्योति कॉलेज,	श्रीकरणपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
201	महर्षि दयानन्द कॉलेज,	श्रीगंगानगर 335001	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
202	एस.जी.एन. खालसा महाविद्यालय,	श्रीगंगानगर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
203	शहीद भगतसिंह कॉलेज,	रायसिंहनगर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
204	सेठ जी.एल. बिहाणी एस.डी.पी.जी. कॉलेज,	श्रीगंगानगर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
205	भूपाल नोबल्स कॉलेज, कालेज रोड,	उदयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
206	पं. उदय जैन महाविद्यालय, जवाहर विद्यापीठ,	कानोड़, उदयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
207	एम.वी. श्रमजीवी कॉलेज, सलेरिया ग्राउण्ड,	उदयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
208	**प्रताप शोध संस्थान, भूपाल नोबल्स संस्थान,**	उदयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
209	**साहित्य संस्थान, टाउन हॉल, लिंक रोड, उदयपुर**	उदयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
210	उदयपुर स्कूल ऑफ सोशल वर्क्स, जनार्दनरायनगर,	उदयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता
211	विद्याभवन रूरल इंस्टीट्यूट ,	उदयपुर	प्राचार्य	वरिष्ठ व्याख्याता

10– महाविद्यालय स्तर पर नागरिकों को दिये जाने वाले अधिकार

1. स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर के प्रत्येक विषय में प्रवेश हेतु स्वीकृत सीटों/स्थानों की जानकारी चाहे जाने पर उपलब्ध कराई जायेगी ।
2. प्रत्येक प्रवेश सूची मय संख्या व तिथि के सूचना पटट पर लगाना आवश्यक होगा । तत्पश्चात निश्चित समयावधि में प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी ।
3. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्रवृत्ति, शुल्क मुक्ति एवं विभिन्न छात्र कल्याणकारी योजनाओं आदि को महाविद्यालय के सूचना पटट पर चस्पा किया जावेगा ।
4. महाविद्यालय का कोई भी विद्यार्थी एवं उसके अभिभावक/ संरक्षक संबंधित प्राध्यापक से रिक्त कालांश में व्यक्तिशः सम्पर्क करके समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे एवं अपनी उपस्थिति ज्ञात कर सकेंगे ।
5. महाविद्यालय के प्राचार्य/प्रशासन द्वारा छात्र को परिचय पत्र, स्थानान्तरण प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, डिग्री, अंकतालिका आदि आवेदन प्रस्तुत करने के आगामी दो कार्य दिवसों में (नो डयूज सर्टिफिकेट) विश्वविद्यालयों से प्राप्त अंक सूची, प्रमाण पत्र, परीक्षा प्रवेश यपत्र आदि प्रदान करने के लिए उपर्युक्त समय सीमा निश्चित की जायेगी तथा इसकी कठोरता से पालना की जायेगी ।
6. कोई भी व्यक्ति सम्बन्धित विभाग और महाविद्यालय से निर्धारित अकादमिक कलैण्डर की सूचना प्राप्त कर सकेगा ।
7. छात्रनिधि कोष (स्टूडेन्ट फण्ड) में जमा की जाने वाली राशि इसके उपयोग और अंकेक्षण आदि की सूचना चाहने पर सुलभ करवाई जा सकेगी ।
8. महाविद्यालयों के प्राचार्यों तथा निदेशक कालेज शिक्षा से सम्पर्क कर स्वीकृत नवीन विषय, वर्ग, संकाय, पदों के सृजन, योजनाओं और बजट संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकेगी ।
9. प्राचार्य, प्राध्यापकों और कर्मचारियों के अवकाश पर रहने की दैनिक सूचना पूर्व निर्धारित समय पर निश्चित स्थान पर (सूचना पटट पर) प्रदर्शित की जावेगी ।
10. महाविद्यालयों में सत्रपर्यन्त की जाने वाली शैक्षणिक व शिक्षणेतर गतिविधियों के प्रभारियों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण अनिवार्य रूप से सूचना पटट पर लगाना होगा ।
11. समय सारणी सूचना पटट पर प्रदर्शित की जावेगी ।
12. सम्बन्धित प्राचार्य अभिभावक द्वारा मांगे जाने पर महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र की विषयवार त्रैमासिक उपस्थिति की जानकारी उपलब्ध करवायेंगे, जिसमें कुल अध्ययन दिवस और छात्र की उपस्थिति वांछित से कम होने पर शैक्षणिक सत्र में दो बार (सितम्बर/अक्टूबर तथा दिसम्बर/जनवरी) अभिभावक और छात्र को चेतावनी पत्र दिया जावेगा ।
13. अपने दायित्व का निर्वाह न करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में शिकायत प्राप्त होने अथवा स्वयं के स्तर पर जानकारी होने पर प्राचार्य/विभागाध्यक्ष तुरन्त कार्यवाही कर उच्चाधिकारियों को भी सूचित करेंगे ।
14. प्राचार्य एव उप प्राचार्य प्रातः 10 बजे से सांयकाल 5 बजे तक विभाग/महाविद्यालय में उपलब्ध रहेंगे तथा विभिन्न कालांशों में शैक्षणिक / सह शैक्षणिक गतिविधियों का नियमित निरीक्षण भी करेंगे । प्राध्यापकों को महाविद्यालय में निर्धारित सात कालांश तक स्वयं प्राध्यापक अथवा प्राचार्य से जानकारी ली जा सकेगी ।
15. महाविद्यालय छात्र संघ द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, छात्रसंघ से सम्बन्धित बजट एवं छात्र संघ द्वारा किये गये व्यय आदि के संबंध में चाहे जाने पर सूचनाएं छात्रसंघ मुख्य परामर्शदाता द्वारा प्रदान की जावेगी ।
16. छात्रसंघ पदाधिकारियों के दायित्वों के संबंध में पूर्ण जानकारी महाविद्यालय सूचना पटट पर अंकित की जानी होगी।
17. महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को बनाये रखने संबंधी निर्धारित नियमों को सूचना पटट पर समय समय पर अंकित किया जावेगा ।
18. सूचना पटट पर्याप्त आकार का होना चाहिए । सूचना पटट पर लगी सूचनाओं की सुरक्षा के लिए ताले की व्यवस्था होवे ।
19. कोई सूचना समय पर सूचना पटट पर प्रदर्शित करने एवं प्रदर्शित सूचना की सुरक्षा के लिए महाविद्यालय प्रशासन की जिम्मेदारी होगी ।